भारत सरकार /Government of India भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण/Fishery Survey of India द्वितीय माला, प्लॉट नं. 2 ए,/ 2nd Floor, Plot No. 2 A, युनिट नं. 12, न्यू फिशिंग हार्बर,।/Unit No.12, New Fishing Harbour, ससुन गोदी, कुलाबा/Sassoon Dock, Colaba, मुन्बई/Mumbai-400 005

मि.स. 13-3/2004-स्था-I

दिनांकः 08.03.2021

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषयः अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों की जॉच हेतु आंतरिक समिति का गाठन - के संबंध में

Sub: Constitution of Internal Committee for examining the cases of appointment on compassionate ground - Reg

उपर्युक्त विषय से संबंधित सभी कार्यालय आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, अनुकंपा नियुक्ति मामलों की जॉच करने तथा सिफारिशें प्रदान करने हेतु निम्नलिखित संयोजन के साथ समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

In supersession of all the orders on the above subject, an Internal committee for examining the cases of appointment on compassionate ground and to offer its recommendation is hereby re-constituted with the following composition:

1.	डॉ. एम. के. फरेजिया, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) Dr. Mahesh Kumar Farejiya, Dy. Director General (Engg.)	-	अध्यक्ष Chairman
2.	श्री एस. के. जायसवाल, निदेशक (अभियांत्रिकी) Shri S. K. Jaiswal, Director (Engg.)	-	सदस्य Member
3.	श्री एन.वी. रमणामूर्ती, तंत्र विश्लेषक Shri N.V. Ramana Murthy, System Analayst	-	सदस्य Member
4.	श्री अशोक एस. कदम, मात्स्यिकी वैज्ञानिक Shri Ashok S. Kadam, Fisheries Scientist	-	सदस्य Member
5.	श्रीमती एम. के. श्रीमती, व. प्रशासनिक अधिकारी Smt. M.K. Sreemathi, Sr. Administrative Officer	-	सदस्य/ संयोजक Member/Convener

विचारार्थ विषय/TERMS OF REFERENCE:

 डी. ओ. पी. टी. द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/मार्गदर्शनों के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों से प्राप्त आवेदनों की जांच करना तथा प्रत्येक मामले की पड़ताल करना।

To scrutinize the applications received from the relatives of the deceased Government Servants and to examine each case as per the instructions/guidelines issued by the DoPT from time to time. अर्ती नियम के अनुसार आवेदकों की आर्थिक परिस्थिति, पात्रता के ब्यौरे सहित प्रत्येक मामले में

- 2.
- सिफारिश प्रदान करना।

To offer recommendation in respect of each case with the details as regards penury condition, eligibility conditions of the applicants, as per the recruitment rules, etc.

२ 12 112 12 (डॉ. एल रामलिंग्रेम)

उप महानिदेशक (मात्स्यिकी)/महानिदेशक (प्रभारी)

सेवा में/To,

सभी सदस्यों को/All the members

Copy to: 1. The Fisheries Scientist, Mumbai Base of Fishery Survey of India, Mumbai